न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1. नारायण सिंह तनय लल्लू सिंह उम्र 35 वर्ष, निग/85-II-16

2. प्रेम नारायण सिंह तनय लल्लू सिंह उम्र 33 वर्ष,

3. मिठाई लाल सिंह तनय लल्लू सिंह उम्र 29 वर्ष

सभी निवासी ग्राम कटैया डण्डी थाना बरगढ़ तहसील मऊ जिला चित्रकूट (उ0प्र0)

---आवेदक/निगरानीकर्तागण

बनाम

बच्ची लाल पुत्र परमेश्वरदीन गडरिया उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पोस्ट घूमन थाना डभौरा तहसील जवा जिला रीवा (म0प्र0)

----अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

(दायरा शीघ्र)

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत 7-1-16

7-1-16

निगरानी विरुद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 334/अपील/15-16 अन्तरिम आदेश दिनांक 28-12-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

(अ) यह कि आराजी खसरा क्रमांक 486, 487, 488, 489, 492/1, 520/1 कुल किता 6 कुमला रकबा 279.33 एकड़ स्थित ग्राम अकौरिया

प्रेमनारायण सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-85-II/2016 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश नारायण सिंह/बच्चीलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –01–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक334/अपील/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के तर्क श्रवण किए गये तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 28.12.15 का परिशीलन किया गया। निगरानी मेमो के संलग्न प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा अभी द्वितीय अपील में कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा अभी अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का तलब किए जाने के आदेश देते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र पर विचार करते हुए अगली पेशी दिनांक 26.1.16 तक यथा स्थिति बनाए रखने एवं उभय पक्ष को एक दूसरे के कब्जे में हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए गये है। विचारोपरांत मैं यह पाता हूं कि उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष समर्थन करने का अपर आयुक्त के समक्ष पर्याप्त अवसर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभी गुणदोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हितों पर अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश से कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते है कि वे प्रकरण में शीघ्र सुनवाई पूर्ण करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में उभयपक्ष द्वारा उठाए गये बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट बोलता हुआ एवं विस्तृत आदेश पारित करें साथ ही उभयपक्ष को भी आदेशित किया जाता है कि अपना–अपना पक्ष अपर आयुक्त के समक्ष रखते हुए न्यायिक प्रकिया में अपर आयुक्त न्यायालय का सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	